

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर  
जसराम बनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 136 LRA नं. १४ सन 2025 जीसीएमएस नं. 91

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-04-25	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 23.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)</p>	
23 <sup>04</sup> / <sub>25</sub>	<p>आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपखण्ड उपखण्ड जज के मुख्य अफसर अंतर्गत रजिस्टर्ड पत्रावली दि. 13.05.25 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">de</p>	
13 <sup>05</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. उन्हें सुना गया। उन्होंने प्रवक्त कथा कि लोके ग्राम - वैठोली की आराजीगत में प्रार्थी के पिता का नाम मोहरसिंह के स्थान पर हरीशम राजस्व कर्मचारियों की</p> <p style="text-align: right;">लगातार---</p>	

सहवर्ग गलती से दर्ज हो गया। जबकि मेरे आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, मतदाता सूची 1971 एवं सर्व जमाबंदी सं. 2070-73 आदि दस्तावेजों में सही नाम मोहरसिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम शुद्ध किया जाये।

हमने वरिष्ठ वकील प्रार्थी पर मनन किया। ~~किन्तु~~ पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का मूली मॉर्ति अध्ययन किया। इनके आधार पर हम ~~पर~~ नाम शुद्ध किया जाण अचित पाते हैं।

अतः प्रार्थी पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 221, 390 वाले ग्राम - वेंगोली तह. भुसावर में प्रार्थी के पिता का मूल नाम हरीशम के स्थान पर मोहरसिंह कुसल राजस्व रिकॉर्ड किया जाये।

पत्रावली केसल श्रुमार होकर नंबर से काम हो। बाद तकनील जासा दाखिल फफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
भुसावर (भरतपुर)